राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी, जिला जोधपुर।

पीठासीन अधिकारी :–पुखराज कंसोटिया **RAS**

राजस्व मूल वाद सख्या :– 52/2009

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
01.जेठाराम पुत्र श्री तुलसीराम जाति कुम्हार 02.श्रवणराम पुत्र श्री तुलसीराम जाति कुम्हार 03.जयनारायण पुत्र श्री तुलसीराम जाति कुम्हार 04.मोहनी बेवा श्री रामलाल जाति कुम्हार 05.अशोक पुत्र श्री श्री रामलाल जाति कुम्हार 06.रणछोड पुत्र श्री रामलाल जाति कुम्हार 07.प्रकाश पुत्र श्री रामलाल जाति कुम्हार निवासीगण बासनी द्वितीय फेस बाल निकेतन के पास तहसील व जिला जोधपुर।		01.लिखमाराम के वारिशान 1/1. श्रीमती हरप्यारी पत्नी स्व0 श्री लिखमाराम जाति कुमार निवासी प्यास की बावडी जोधपुर हाल निवासी कृष्ण मंदिर के पास बासनी द्वितीय फेस जोधपुर। 1/2.धेवर चंद पुत्र स्व0 लिखमाराम जाति कुमार निवासी प्यास की बावडी जोधपुर हाल निवासी कृष्ण मंदिर के पास बासनी द्वितीय फेस जोधपुर। 1/3.श्रीमती दुर्गा पुत्री स्व0लिखमाराम जाति कुमार निवासी प्यास की बावडी जोधपुर हाल निवासी कृष्ण मंदिर के पास बासनी द्वितीय फेस जोधपुर। 1/4.श्रीमती कमोदा पुत्री स्व0 श्री लिखमाराम एव पत्नी स्व0 श्री छवरलाल जाति कुमार निवासी बाबा रामदेव मंदिर रोड मसूरिया जोधपुर। 1/5.श्रीमती किरण पुत्री स्व0 श्री लिखमाराम पत्नी श्री दोलतराम जाति कुमार निवासी पीली टंकी के पास भगत कोठी जोधपुर । 1/6.श्रीमती पुरण पुत्री स्व0 श्री लिखमाराम जी पत्नी हरदेव जाति कुमार निवासी कृष्ण मंदिर के पास प्रथम सी रोड सरदारपुरा जोधपुर। 02.उप पंजीयक लूणी तहसील कार्यालय लूणी जिला जोधपुर 03.उप पंजीयक प्रथम जोधपुर कचहरी परिसर जोधपुर 04.उप पंजीयक द्वितीय जोधपुर कचहारी परिसर जोधपुर 05.उप पजीयक तृतीय जोधपुर कचहरी परिसर जोधपुर 06.राजस्थान सकरार जारिये तहसीलदार लूणी जोधपुर।

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 धारा 151 सीपीसी पर आदेश

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

उपस्थिति:

1.वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नवीन शर्मा उपस्थित

2.प्रतिवादीगण संख्या 1/2 से 1/6 की ओर से अधिवक्ता श्री भवरलाल चौधरी उपस्थित।

3.शेष प्रतिवादीगण की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 31.07.2023

वाद मे तथ्ये इस प्रकार है कि वादीगण जेठाराम वगैरा की ओर से प्रतिवादी लिखमाराम व अन्य के विरूद्ध राजस्व वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा हेतू पेश किया कि ग्राम तनावडा तहसील लूणी जिला जोधपुर भूमि खसरा संख्या 116/4 रकबा 47 बीघा 17 बिस्वा बारानी द्वितीय कृषि भूमि स्थित है जिसकी खातेदारी तुलसीराम पुत्र श्री लाला जाति कुम्हार, निवासी– व्यास जी की बावडी जोधपुर की रेकर्डेड खातेदारी की कब्जा काश्त की मालिकाना कृषि भूमि थी, यह तथ्य खतौनी मौजा तनावडा परगना जोधपुर गवर्नमेन्ट सम्वत् 1999 तथा जमाबन्दी ग्राम तनावडा सम्वत् 2027 से 2030 तक से प्रमाणित है।

. कि वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम तनावडा में स्थित गत खसरा संख्या 116 रकबा 95 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय वादीगण संख्या 01 से 03 तक के पिता, वादी संख्या 04 के ससुर तथा वादीगण संख्या 05 से 07 तक के दादा स्व. श्री तुलसीराम जी के रेकर्डेड खातेदारी की मालिकाना कब्जा व काश्त की कृषि भूमि का भाग है । यह तथ्य नामान्तरकरण संख्या 38 ग्राम तनावडा में वर्णित तथ्य विवरण से साफ प्रमाणित है। उक्त श्री तुलसीराम जी के सन् 1980 में स्वर्गवास होने पर वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण पक्ष को उतराधिकार में प्राप्त हुई है तथा वक्त सेटलमेंट के पहले से वादग्रस्त कृषि भूमि पर पहले स्व. श्री तुलसीराम जी का तथा बाद में वर्तमान तक वादीगण का मौके पर भौतिक रूप से कब्जा व काश्त तथा उपभोग उपभोग रहा है तथा आज दिन भी मौके पर इस वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है।

कि प्रतिवादी सख्या 01 लिखमाराम ने तत्कालीन सरपंच श्री चम्पालाल जैन ग्राम पंचायत मोगडा कला तथा तत्कालीन राजस्व निरीक्षक की मिलीभगत से बिना किसी आधार के वादग्रस्त कृषि भूमि से संबधित अपने पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 38 ग्राम तनावडा के आधार पर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में वादीगण के पूर्वज श्री तुलसीराम की जगह अपना नाम खातेदार के रूप में दर्ज करवा लिया है। जबकि उक्त नामान्तरकरण संख्या 38 ग्राम तनावडा तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा भरा ही नही गया था तथा तत्कालीन सरंपच श्री चम्पालाल जैन ग्राम पंचायत मोगडा कला द्वारा स्वीकृत भी नही किया गया है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 38 ग्राम तनावडा पर तत्कालीन सरंपच श्री चम्पालाल जैन ग्राम पंचायत मोगडा कला की सिर्फ हस्ताक्षरित टिप्पणी ही वर्णित है।

. कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 38 ग्राम तनावडा के कोलम संख्या 14 में वर्णित वंटवाडा अथावा बेचान लिखित वादीगण के पूर्व पुरूष श्री तुलसीराम जी के द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार से परिवादी संख्या 01 लिखमाराम के पक्ष में नही लिखी गई है यानि की वादीगण के पूर्व पुरूष पूर्वज श्री तुलसीराम जी के द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार से वाद ग्रस्त कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 लिखमाराम के पक्ष में बैचान या हस्तान्तरण नही किया गया है। वादीगण की तरफ से इस नामान्तरकरण संख्या 38 के कोलम संख्या 14 में वर्णित आधार तथ्य की लिखा पढी की गई है। उसकी नकल म्यूटैशन के पीछे है इस लिखा पढी की नकल वर्तमान हल्का पटवारी से तथा वर्तमान तहसील कार्यालय लूणी से प्राप्त करने हेतू प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें हल्का पटवारी तथा तहसील कार्यालय लूणी से वादीगण पक्ष को बताया गया कि नामान्तकरण संख्या

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

Scanned by CamScanner

38 ग्राम तनावडा के पीछे अथवा कार्यालय में नामान्तरकरण संख्या 38 ग्राम तनावडा के कॉलम संख्या 14 में वर्णित लिखा पढी नही है तथा इस नामान्तरण संख्या 38 ग्राम तनावडा में कोलम संख्या 14 में बैचान तीन रूपये के स्टाम्प पर लिखा पढी किया जाना वर्णित है इस नामान्तरकरण के स्वीकृत किये जाने के इस आधार से तथा इस पद में विर्णित उपरोक्त तथ्यो व विवरण से साफ व पूर्ण रूप से प्रमाणित है कि परिवादी संख्या 01 लिखमाराम ने भयंकर षडयंत्र पूर्वक वादीगण पक्ष के मालिकाना व कब्जा काश्त की तथा उपयोग व उपभोग की कृषि भूमि यानि वादग्रस्त कृषि भूमि को येनकेन प्रकारेण, गैरकानूनी तरीक से तथा बिना किसी विधिवत आधार के हडपने हेतू एव वादग्रस्त कृषि भूमि से वादीगण को जबरन बेदखल करने हेत राजस्व रेकर्ड, जमाबन्दी में अपने नाम से वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदार के रूप में अमल दरामदगी करवाई है।

. कि विकल्प के रूप में प्रतिवादी संख्या 01 लिखमाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में खातेदार के रूप में की गई उक्त अमल दरामीदगी के समय के पहले से तथा वक्त सेटलमेंट के पहले से वादीगण पक्ष का वादग्रस्त कृषि भूमि पर वर्तमान तक यानि कि आज दिन तक शान्तिपूर्वक मौके पर भौतिक रूप से कब्जा व काश्त है तथा वादीगण पक्ष का स्व. श्री तुलसीराम जी व बाद में वादीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि पर मौके पर भौतिक कब्जा होने से सम्बन्धित शुरू से ही पूर्ण ज्ञान रहा है यानि कि पूर्ण जानकारी रही है जिसकी वजह से वादीगण पक्ष को प्रतिवादी संख्या 01 लिखमाराम के विरूद्ध एक एडवर्स पजेशन यानि अग्रिम कब्जा का अधिकार भी विकल्प के रूप में प्राप्त हो गया है जिसकी वजह से भी वादगण वादग्रस्त कृषि भूमि के एकमात्र विधिवत खातेदार आसामी है। जिसकी खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा के लिये ये दावा प्रस्तुत कर ग्राम तनावडा के भूमि खसरा संख्या 116/4 रकबा 47 बीघा 17 बिस्वा की डिक्री वादीगण के पक्ष में पारित की जाने के लिए निवेदन किया।

कि प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पेश कर कथन किया है कि लालाराम जी के दो पुत्र तुलसीराम व लिखमाराम थे जिसमे तुलसीराम बडा एव लिखमाराम छोटा था एवं लालाराम जी के साथ उनका सयुक्त परिवार था एवं उक्त भूमि पर सयुक्त कब्जा काश्त था एवं परिवार मे तुलसीराम ही कर्ताधर्ता था। सम्वत् 1999 में लिखमाराम 14–15 साल का नाबालिग लडका था। तुलसीराम व लिखमाराम सन् 1971 में अलग हुये तो तुलसीराम ने लिखमाराम के 1/2 हिस्से की 47 बीघा 17 बिस्वा भूमि को लिखमाराम के पक्ष में बैचान कर दिया एवं उसी समय दिनांक 14.10.1971 को ग्राम पंचायत मोगडा कला द्वारा बैचान के आधार पर भरे गये नामान्तरकरण संख्या 38 स्वीकार कर दिया तथा राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 116/4 रकबा 47 बीघा 17 बिस्वा का लिखमाराम को खातेदार दर्ज कर दिया। तब से भूमि खसरा संख्या 116/4 रकबा 47 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर अकेले लिखमाराम एवं उसके परिवार का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः दावा खारिज किया जावे।

कि प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम तनावडा तहसील लूणी में खसरा संख्या 116/4 रकबा 47 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है जो प्रतिवादीगण की खातेदारी की है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे का प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश किया गया एव राजस्व रेकर्ड पत्रावली पर पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत हुआ इससे ये स्थित स्पष्ट हुई है कि खसरा संख्या 116 का मूल रकबा 95 बीघा 17 बिस्वा तक जिस पर स्व. लाला के दोनो पुत्रो अर्थात तुलसीराम व लिखमाराम का कब्जा काश्त है। सन् 1999 की खतौनी जब बनी तो तुलसीराम बडे थे व लिखमाराम लगभग 14–15 वर्ष का था इस कारण खतौनी में तुलसीराम का नाम दर्ज कर दिया गया। दोनो भाईयो का सयुक्त

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधि
लूणी

Scanned by CamScanner

परिवार तुलसीराम व लिखमाराम ने उक्त भूमि का विभाजन करना चाहा इस कारण तुलसीराम ने सन् 1971 में लिखमाराम के पक्ष में एक बैचाननामा 47 बीघा 17 बिस्वा भूमि के संदर्भ में निष्पादित किया व इस बैचाननामा के आधार पर लिखमाराम के नाम से नामान्तरकरण संख्या 38 ग्राम पंचायत द्वारा सन् 1971 के स्वीकार कर दिया इसके पश्चात् तुलसीराम का स्वर्गवास हो गया इस कारण नामान्तरकरण संख्या 316 विरासत का उसके .चारो पुत्रो अर्थात रामलाल, जेठाराम, श्रवण कुमार व जयनारायण के नाम से सन् 1993 में 48 बीघा भूमि का स्वीकार कर लिया गया।

कि तुलसीराम के उक्त चारो पुत्रो ने उपरोक्त 48 बीघ भूमि का आपसी विभाजन कर लिया जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 318 दिनांक 01.12.1994 को स्वीकार कर लिया गया व प्रत्येक के हिस्से में 12 बीघा भूमि रखी गई इस विभाजन का नामान्तरकरण करते समय राजस्व नक्शे में तरमीम कर दी गई व वादीगण के हिस्से वाली 48 बीघा भूमि को राजस्व नक्शे में खसरा संख्या 116, 116/1, 116/2 व 116/3 से दर्शाया गया तथा प्रतिवादी लिखमाराम के हिस्से वाली 47 बीघा 17 बिस्वा भूमि खसरा संख्या 116/4 दर्शाया गया तभी से राजस्व रेकर्ड में इसी अनुसार इन्द्राज चले आ रहे है।

कि स्व. तुलछीराम के वारिसान वादीगण वर्तमान वाद माननीय न्यायालय में प्रतिवादी लिखमाराम के विरूद्ध पेश किया है। वाद प्रस्तुत करने एवं जबाब दावा प्रस्तुत करने के पश्चात दौराने. स्व. तुलछाराम के वारिसान द्वारा खसरा संख्या 116, 116/1, 116/2, 116/3 कुल 48 बीघा भूमि के वादीगण के पक्ष में कुल चार हकतर्कनामे के दस्तावेज निष्पादित किये गये है जिनमें यह माना गया की स्व. तुलछाराम की खसरा संख्या 116 में 48 बीघा भूमि खातेदारी की थी।

कि स्व. तुलछीराम के उपरोक्त 48 बीघा भूमि में से वादीगण द्वारा किये गये बेचाननामे में स्व. तुलसीराम के खातेदारी में 48 बीघा भूमि को ही बताया गया है। खसरा संख्या 116/4 रकबा 47 बीघा 17 बिस्वा भूमि से उनका कोई ताल्लुक नही है। उपरोक्त वाद माननीय न्यायालय में लम्बित रखने का कोई न्यायोचित कारण नही है। चूंकि वादीगण ने कुल 95 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि में से अपने हिस्से की 48 बीघा भूमि मानते हुये हस्तान्तरण पत्र निष्पादित किये एव शेष भूमि 47 बीघा 17 बिस्वा खसरा संख्या 116/4 जिसका खातेदार प्रतिवादी है इस लिये वादी का वाद म्याद बाहर होने व कोई वाद कारण उत्पन्न न्ही होने से खारिज फरमाया जावे।

कि जिस पर वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया कि वादग्रस्त भूमि पर तुलछीराम का ही शुरू से ही कब्जा काश्त है प्रतिवादी संख्या 01 लिखमाराम का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा। सन् 1999 की खतोनी बनी तो तुलछीराम जी बडे होने तथा लिखमाराम के 14–15 वर्ष के होने के कारण तुलसीराम का नाम दर्ज कर दिया गया है। प्रतिवादीगण ने गलत कथन किया है वादग्रस्त भूमि तुलसीराम जी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त है। वादीगण के पिता तुलसीराम ने सन् 1971 में लिखमाराम के पक्ष मे कोई बैचाननामा निष्पादित नही किया है तथा कथित नामान्तरकरण संख्या 38 ग्राम पंचायत द्वारा गलत अवैध पारित किया गया जिस नामान्तरकरण को चुनौती देते हुए लिखमाराम का नाम राजस्व रेकर्ड से हटा कर वादीगण का नाम वादग्रस्त भूमि के बाबत् पुनः दर्ज करने हेतू ही वादीगण द्वारा यह घोषणात्मक वाद अन्दर म्याद प्रस्तुत किया है।

कि वादीगण को वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में लिखमाराम के नाम दर्ज होने की पूर्व में जानकारी नही थी। वादीगण द्वारा इन भूमियो के विभाजन हेतू राजस्व कार्यालय में कार्यवाही की

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

Scanned by CamScanner

जाने पर वादीगण को सर्वप्रथम इस वाद की जानकारी हुई। जिस पर वादीगण व गांव के मौजिज व्यक्तियो द्वारा प्रतिवादी लिखमाराम को इस बाबत् समझाइश की गई तब लिखमाराम ने गांव के मौजिज व्यक्तियो का आश्वासन दिया कि वादग्रस्त भूमि पुनः वादीगण पक्ष के नाम से कार्यवाही कर दर्ज करवा दी जायेगी। इसके पश्चात समय समय पर नाम दर्ज करवाने का कहने के उपरान्त भी उसके द्वारा कभी भी इस बाबत् कोई कार्यवाही वादी गण के पक्ष में नही की जाने पर वादीगण द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का निस्तारण करते वक्त मात्र वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का ही अवलोकन किया जाता है एव तत्समय की परिस्थतियो को ही देखा जाता है ऐसी स्थिती में वाद प्रस्तुत होके के पश्चात की गई किसी भी कार्यवाही के कारण वाद आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत निरस्त नही किया जा सकता है। अतः प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

कि प्रतिवादी की ओर से मौखिक व लिखित प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 116/4 रकबा 47 बीघा 17 बिस्वा पूर्व में वक्त सेटेलमेंट तुलसीराम व लिखमाराम की सयुक्त कब्जे काश्त की भूमि थी। तुलसीराम जी परिवार में बडा व कर्ता खानदान था सम्वत् 1999 में प्रतिवादी लिखमाराम 14–15 साल का नाबालिग लडका था तुलसीराम व लिखमाराम सन् 1971 में अलग हुये तो तुलसीराम ने 1/2 हिस्से की 47 बीघा 17 बिस्वा का लिखमाराम के पक्ष में बैचान कर दिया एव उसी समय दिनांक 14.10.1971 को ग्राम पंचायत मोगडा कला द्वारा बैचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 38 स्वीकार कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 01 को खसरा संख्या 116/4 रकबा 47 बीघा 17 बिस्वा का खातेदार घोषित कर दिया।

कि उक्त तुलसीराम द्वारा किये गये बैचान बाबत् 1971 से 2007 तक तुलसीराम एवं उसके उतराधिकारियो ने कभी कोई आपति नही की। तुलसीराम जी का सन् 1980 में देहान्त हो गया। उसके 13 वर्ष बाद वादीगण ने सन् 1993 में उतराधिकारी का नामान्तरकरण संख्या 316 स्वीकार करवाया तथा उसके बाद तुलसीराम के चारो पुत्रों ने आपसी सहमती से बंटवाडा कर लिया। जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 318 स्वीकार किया जाकर उनके नाम से 12–12 बीघा भूमि अलग–अलग खातेदारी में दर्ज कर दी गई। तथा नक्शा ट्रेश में भी इसी अनुसार तरीमीम कर दी गई। उस नक्शे में लिखमाराम के खसरा संख्या 116/4 भूमि अलग से दर्शायी गई उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज चले आ रहे है। इस प्रकार वादीगण को तुलसीराम जी के देहान्त के बाद वादीगण के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 316 के समय जानकारी थी कि उनके पिता की खातेदारी में केवल 48 बीघा भूमि ही है। तथा उसके बाद उनके द्वारा आपसी सहमती से किये गये बंटवाडे के नामान्तरकरण संख्या 318 में वादीगण के नाम से 12–12 भूमि दर्ज होने एवं उसका नक्शा ट्रेश में इन्द्राज होने पर तथा खसरा संख्या 116/4 रकबा 47 बीघा 17 बिस्वा लिखमाराम के खातेदारी में दर्ज होने एव उस पर प्रतिवादी का कब्जा काश्त होने की जानकारी थी। लेकिन जानकारी होते हुए भी 35 साल तक कोई कार्यवाही नही की।

कि वादीगण ने गलत एव अस्पष्ट तथ्यो के आधार पर झूठा दावा पेश किया है। वादीगण का सन् 1971 के बाद कभी कब्जा काश्त नही रहा फिर भी उन्होने विवादग्रस्त भूमि पर अपने कब्जा काश्त का गलत कथन किया है तथा दावे के पद संख्या 09 में एडवर्स पजेशन से अधिकार प्राप्त होने का कथन किया है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्दर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार घोषित करने का प्रावधान नही है।

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

कि वादीगण ने दावे के पद संख्या 03 में तुलसीराम के देहान्त के बाद उतराधिकार में मालिकाना हक प्राप्त होने का कथन किया है लेकिन राजस्व रेकर्ड अनुसार तुलसीराम के देहान्त के बाद उनको खसरा संख्या 116 रकबा 48 बीघा के मालिकाना हक प्राप्त हुये तथा तुलसीराम के चारो पुत्रो ने अपने मालिकाना हक की भूमि 48 बीघा मान कर ही सन् 1993 में आपसी सहमती से बंटवाडा किया एव उनके बंटवाडे में 12–12 बीघा भूमि आई। अतः वादीगण को जानकारी नही होने का कथन कतई गलत एवं निराधार होने से वादीगण का दावा पोषणीय नही है।

दावे के पद संख्या 13 व 14 में किये गये कथन के अनुसार वादीगण को दिनांक 19.10.2007 को कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है वादीगण द्वारा दावे के पद संख्या 18 (3) में की गई प्रार्थना के अनुसार वादीगण का कब्जा नही है। एव कब्जा दिलाने की प्रार्थना की गई है कब्जे के दावे की म्याद केवल 12 साल है। राजस्व रेकर्ड के अनुसार प्रतिवादी सन् 1971 से वादग्रस्त भूमि पर काबिज है जिसकी जानकारी वादीगण को शुरू से थी एवं तुलसीराम जी के देहांत के बाद उतराधिकारी का नामन्तरकरण संख्या 346 स्वीकृत होने तथा उसके बाद उसके द्वारा आपसी सहमती से किये गये बंटवाडे का नामान्तरकरण सख्या 318 स्वीकृत कर उनके खातेदारी में 12–12 बीघा भूमि दर्ज करने पर अच्छी तरह से थी अतः बिना कब्जा न तो वादीगण खातेदार घोषित किये जा सकते है तथा न ही स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। जिसमे प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारीज करने का निवेदन किया अपने उक्त तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान **2020 (2) RRT P. 1200 ,2019 (2) RRT 780 , 2019(2) RRT 1176 RAJ, 2019(2) RRT 1189 19.** कि वादीगण की ओर से अपनी बहस में कथन किया कि दावा वादीगण की ओर से नियम अनुसार प्रस्तुत किया गया है वाद ग्रस्त भूमि पर तुलसीराम जी का शुरू से ही कब्जा काश्त था, प्रतिवादी संख्या 01 का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा सन् 1999 की खतौनी में खसरा संख्या 116 के तुलसीराम जी रिर्कार्ड खातेदार दर्ज हुये। तुलसीराम जी ने प्रतिवादी गण के पक्ष में कभी कोई बैचाननामा निष्पादित नही किया तथा कथित नामान्तरकरण संख्या 38 ग्राम पंचायत द्वारा गलत अवैध पारित किया गया है। जिसे चुनौती देते हुए वादीगण की ओर से प्रतिवादी के विरूद्ध घोषणातमक वाद अन्दर म्याद प्रस्तुत किया गया है।

कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का निस्तारण करते वक्त मात्र वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का ही अवलोकन किया जाता है एव तत्मसमय की परिस्थातियो को ही देखा जाता है। ऐसी स्थिती में वाद प्रस्तुत होने के पश्चात की गई किसी भी कार्यवाही के कारण वह आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत निरस्त नही किया जा सकता । अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया

Scanned by CamScanner

गया। जब से लिखमाराम का कब्जा काश्त है। इस इन्द्राज की वादीगण को जानकारी होते हुए भी वादीगण ने 35 साल तक काई कार्यवाही नही की तथा न ही नामान्तरकरण संख्या 38 को निरस्त करने के लिए वाद में कोई प्रार्थना की वादीगण ने कब्जे के लिए दावा नही कर केवल विकल्प में कब्जा वादीगण का नही माना जाने पर कब्जा दिलाने की प्रार्थना की है। राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादीगण सन् 1971 स विवाद ग्रस्त भूमि पर काबिज नही है। जबकि कब्जे के लिए दावे की म्याद टिनेन्सी एक्त में केवल 12 वर्ष निर्धारित की गई है। इस प्रकार वादीगण को दिनांक 19.10.2007 को कोई वादी कारण उत्पन्न होना नही पाया जाता है तथा दावा स्पष्टतया म्याद बाधित पाया जाता है। ,

अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी पी.सी. का प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(पुखराज कंसोटिया)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

अतः निर्णय आज दिनांक 31.07.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया,

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner